

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::

पटना-15, दिनांक- 30 /12/2024

संख्या-14/न्याय-222/2024- 20874 /सा0प्र0, राज्य के सभी जिलों में पदस्थापित अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी को अपने कार्यों के अतिरिक्त बेतिया राज की परिसम्पत्तियों को निहित करने हेतु विशेष पदाधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(विनोद कुमार सिंह)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-14/न्याय-222/2024- 20874 /सा0प्र0, पटना-15, दिनांक- 30 /12/2024
प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई0 टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी/प्रबंधक, आई0 टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट एवं संबंधित पदाधिकारी के सेवा इतिहास पोर्टल पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।